प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 71/2023 (अपील सूचना का अधिकार)

हरिओम कुमार दुबे C/o हेमलता शर्मा, निवासी–बी 34, इन्द्रा कॉलोनी, दौसा–303503

..............अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 25/07/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329082357940416 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2023 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना अपूर्ण उपलब्ध करायी जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 4872141577 दिनांक 04.07.2023 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/71/23/2023/884–85 दिनांक 04.07.2023 से लिखा गया जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्रांक प./41/2/सू.अ./प्रथम अपील/71/2023/713–15 दिनांक 08.07.2023 से कार्यालय उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अनुभाग को अपीलाथी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा कार्यालय उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अनुभाग को जरिये पत्रांक 713–15 दिनांक 08.07.2023 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अनुभाग द्वारा अपीलाथी को सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में आज दिनांक तक इस कार्यालय में कोई जवाब/प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

चूंकि प्रकरण में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में कोई जवाब/प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही जा रही है वह उपलब्ध करवा दी गई हो। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित अनुभाग उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अनुभाग से प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को नियमानुसार निशुल्क उपलब्ध करावे।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर